27 अगस्त, 2015 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन समिति की 66वीं बैठक के लिए सारणी एजेंडा

मद संख्या 66.15 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) मौजा जामनेर और खरासी, तहसील अरवी, जिला वर्धा, महाराष्ट्र में 86.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायो प्लास्टिक या अन्य बायो आधारित या बायोडिग्रेडेबल पर्यावरण हितैषी उत्पादों, फर्मास्युटिकल तथा रसायन सहित जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स वर्धा साखर कारखाना लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स वर्धा साखर कारखाना लिमिटेड	मौजा : जामनेर एवं खरासी, तहसील अरवी, जिला वर्धा, महाराष्ट्र	बायो प्लास्टिक या अन्य बायो आधारित या बायोडिग्रेडेबल पर्यावरण हितैषी उत्पादों, फर्मास्युटिकल तथा रसायन सहित जैव प्रौद्योगिकी	86.15	हां	हां* (10 अगस्त, 2015)	नया (सैद्धांतिक अनुमोदन)

*औपचारिक अनुमोदन के लिए एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार अनुकूल ढंग से विचार करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करने के अधीन :

(i) विकासक ने आंध्रा बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, को भूमि गिरवी रखकर 151.80 करोड़ रुपए का ऋण लिया है तथा केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विकासक द्वारा भूमि को सभी भारग्रस्तता से मुक्त रखा जाना चाहिए।

(ii) विकासक द्वारा प्रस्तुत लैंड लोकेशन लेआउट प्लान यह दर्शाता है कि भूमि (86.15 हेक्टेयर) संस्पर्शी नहीं है। तथापि, विकासक ने पुष्टि की है कि क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल अर्थात 50 हेक्टेयर भूमि संस्पर्शी है। अतः न्यूनतम भूमि की कसौटी के अनुपालन के अधीन 50 हेक्टेयर भूमि की सन्निकटता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(iii) विकासक को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के क्रय के संबंध में राज्य सरकार के अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

*****